प्रखंड विकास कार्यालय, बोखड़ा

Mail- Bdo.bok.stm@gmail.com
Mob. 9431818515

(अनुलग्नक–2)
(जिला–सीतामढ़ी)
(प्रखंड नियोजन इकाई बोखड़ा)
कार्यालय आदेश

बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा–शर्त) नियमावली–2012 (यथा संशोधित) एवं बिहार नगर प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा–शर्त) नियमावली–2012 (यथा संशोधित) के तहत विभागीय अधिसूचना संख्या–1378 दिनांक–17.12.2021 एवं विभागीय पत्रांक–33 दिनांक–18.01.2022 के द्वारा राज्य के मध्य विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक के पद पर नियुक्ति हेतु विज्ञापित पदों के विरूद्ध निम्न मध्य विद्यालय में शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक के रूप में निम्नलिखित सूची में अंकित अभ्यर्थियों का चयन नियुक्ति हेतु किया गया है। यह नियुक्ति पूर्णतः औपबंधिक होगी।

अतः निम्नलिखित सूची में अंकित अभ्यर्थी, यदि शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक के पद पर नियुक्त होना चाहते हों तो 30 दिनों के अन्दर वे सूची में अंकित पदस्थापन के विद्यालय में योगदान देना सुनिश्चित करें अन्यथा संबंधित अभ्यर्थी का दावा स्वतः समाप्त हो जायेगा।

चयनित अभ्यर्थियों की सूची :–

क्र0 सं0	अभ्यर्थी का नाम	पिता / पति का नाम	स्थायी पता	मेधा सूची क्रमांक	आरक्षण कोटि	जन्म तिथि	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
01	अमित कुमार	नागेन्द्र मिश्र	ग्राम–बहेरा जाहिदपुर, थाना–नानपुर, जिला–सीतामढ़ी, पिन नं0–843333	14	UR	20-02-1993	मध्य विद्यालय खड़का
02	जितेन्द्र यादव	चन्द्रमा यादव	ग्राम–पड़ापुर, थाना–सैदपुर, जिला–गाजीपुर, राज्य–उत्तर प्रदेश, पिन नं0–233306	15	UR	07-05-1995	मध्य विद्यालय पतनुका

1. संबंधित अभ्यर्थी विद्यालय में योगदान देने के समय सभी शैक्षणिक / प्रशैक्षणिक प्रमाण–पत्र / अंक पत्र, शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक योग्यता परीक्षा उत्तीर्णता प्रमाण–पत्र की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति प्रधानाध्यापक / प्रभारी प्रधानाध्यापक के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
2. योगदान के समय अभ्यर्थियों को असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
3. योगदान के समय अभ्यर्थियों को दहेज नहीं लेने एवं देने संबंधी घोषणा पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
4. प्रमाण–पत्र जाली / अन्तर्लेपन / गलत पाये जाने के स्थिति में नियोजन पदाधिकारी के द्वारा नियोजन रद्द कर दिया जायेगा और आवश्यक कानुनी कार्रवाई की जायेगी।
5. संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक / प्रभारी प्रधानाध्यापक नियोजन इकाई से संबंधित अभ्यर्थी के नियुक्ति पत्र का सत्यापन कराने के उपरांत ही योगदान स्वीकृत करेंगे।

सचिव
28/5/22
प्रखंड नियोजन इकाई,
–सह–प्रखंड विकास पदाधिकारी,
बोखड़ा।

ज्ञापांक– 419 दिनांक 28.05.2022

प्रतिलिपि:– संबंधित नवनियुक्त शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:– विद्यालय के प्रधानाध्यापक को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए कहना है कि नवनियुक्त शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक के योगदान की सूचना अधोहस्ताक्षरी कार्यालय एवं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय को अचूक रूप से देना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि:– प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, बोखड़ा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:– जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना, सीतामढ़ी को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:– जिला शिक्षा पदाधिकारी, सीतामढ़ी को सादर सूचनार्थ समर्पित।

सचिव
28/5/22
प्रखंड नियोजन इकाई
–सह–प्रखंड विकास पदाधिकारी,
बोखड़ा।

2022/6/7 18:39